उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिहंभूम, जमशेदपुर।

(जिला बाल संरक्षण इकाई)

विज्ञापन संख्या–266.....

आवश्यक सूचना

लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति (Support Person) की सेवा लेने हेतू पैनल निर्माण के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित चयन :–

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या –526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-2685/ दिनांक – 24.10.2024, अधिसूचना संख्या – 526/SP POCSO/ JSCPS/2023-24/525/ दिनांक – 09.05.2025 एवं 526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-124/ दिनांक – 15.01. 2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने हेतू सहायक व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना है। इस हेतू सहायक व्यक्तियों का पैनल निर्माण किए जाने के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित सेवा दिए जाने वाले इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	उम्र	शुल्क प्रति केस
1	सहायक व्यक्ति	जिले में मामलों की संख्या के 1:10 के अनुसार	35 से 60 वर्ष	अधिकत्तम प्रति केस 5000/– (म०बा०वि० एवं सा०सु०वि०) झारखण्ड के अधिसूचना संख्या–525/दिनांक–09.05.2025 के क्र०सं०–1 के आलोक में

A. शैक्षणिक योग्यता:–

- कला/वाणिज्य/विज्ञान/विधि/मनोविज्ञान/ सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान/स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर या किसी भी संकाय में स्नातक एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव।

B. कार्यानुभव:–

- बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान/परामर्शदाता /समाजशास्त्र /मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।
- DLSA/JHALSA/DCPO/CWC/JJB/POCSO न्यायालय में कम से कम एक वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।

नोट :– अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगें। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।

C. साक्षात्कार :–

- वांछित अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त हेतू गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदन की शैक्षणिक योग्यता/कार्यानुभव/बाल संरक्षण/किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) के तहत् कार्य करने का अनुभव और बालक के साथ काम करने के अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

D. मूल्यांकन :–

- शैक्षणिक योग्यता

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	स्नातक	6
2	स्नातकोत्तर	3
3	अन्य	1
	कुल	10

- कार्यानुभव :– प्रतिवर्ष के लिए 01 अंक अधिकतम 10 अंक
- साक्षात्कार 30 अंक अधिकतम

E. सहायक व्यक्तियों की पैनल का निर्माण :–

1. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध कर सूची का प्रकाशन जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्वी सिहंभूम, जमशेदपुर के कार्यालय में किया जायेगा।
2. सहायक व्यक्तियों के सूचीबद्धता में 60 प्रतिशत महिला सदस्य एवं 40 प्रतिशत पुरुष सदस्य होंगे, विशेष परिस्थिति में जहाँ पर महिला सदस्य उपलब्ध नहीं हो तो, उनके स्थान पर पुरूष सदस्य को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
3. सहायक व्यक्तियों को 03 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके कार्यों का समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा एवं 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 02 माह पूर्व नए पैनल का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पैनल की अवधि समाप्त होने के पूर्व नए पैनल का निर्माण कर लिया जायेगा।
4. सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के आपराधिक चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा करवाया जायेगा एवं किसी भी सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना में कोई

अपराधिक मामला दर्ज पाया जायेगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है तथा उनकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी।

F. सहायक व्यक्तियों का कार्य दायित्व :–

- सहायक व्यक्तियों का कार्य दायित्व महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या 526/SP-POCSO/JSCPS/2023–24–2685/दिनांक–24.10.2024 द्वारा अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश बिंदु 4 में वर्णित सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एवं उसके कर्तव्य के अनुसार होंगें।

G. शुल्क भुगतान :–

- सहायक व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति केस की दर से अधिकतम 5000/–रू० प्रति केस किस्तवार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या– 526/SP-POCSO/JSCPS/2023–24– 525/दिनांक–09.05.2025 के क्र०सं०–01 के आलोक में देय होगा।

H. नियम एवं शर्त्तें :–

1. आवेदन पत्र विहित प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा।
2. अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित मापदंडो को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, प्रेषक का नाम एवं पत्राचार व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र एवं उम्र प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन उपरांत अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।
6. उम्र सीमा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जाएगी।
7. उक्त पद में साक्षात्कार हेतू उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का टी०ए०/डी०ए० अनुमान्य नहीं होगा।
8. किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध/फर्जी पाए जाने पर चयन समिति को चयन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा देय राशि नियमसंगत वसूली की जाएगी।
9. आवेदन के साथ शपथ पत्र (नोटरी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत) की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज/लंबित नहीं है।
10. निर्धारित अहर्ता एवं शर्त्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
11. सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 5772/दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिनांक–19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से

निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
14. विभागीय अधिसूचना संख्या– 2685/दिनांक–24.10.2024 एवं 124/ दिनांक–15.01.2026 के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

15. आवेदन की प्रक्रिया–

I. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14/05/2026 अपराहन् 5:00 बजे तक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

II. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से निम्न पते पर भेजा जा सकता है–उपायुक्त का कार्यालय, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा नम्बर–G7, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर–साकची, पिन कोड–831001 ।

नोट :– नियुक्ति से संबंधित सूचना एवं आवेदन पत्र कार्यालय के अधिकारिक वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in पर देखी जा सकती है।

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 24.04.26

ज्ञापांक 266/ बा0सं0, दिनांक 27/04/2026

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिहंभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं निदेश है कि विज्ञापन को सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (DIO)/Web Information Manager, पूर्वी सिहंभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त विज्ञापन के साथ नियम/शर्तों की विस्तृत जानकारी को जिले के **Website:** www.jamshedpur.nic.in पर प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– निदेशक–सह–सदस्य, सचिव, झारखण्ड, राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 24.04.26

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदित पद का नाम....................
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)....................
   आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)....................
3. पिता / पति का नाम....................
4. जन्म तिथि (अंको में)....................
   जन्म तिथि (शब्दों में)....................
5. लिंग (पुरूष / महिला)....................
6. स्थायी पता....................
   ....
   ....
7. पत्राचार का पता....................
   ....
   ....
8. मोबाईल नं0.................... ई–मेल....................
9. कोटि (अ0ज0 / अ0ज0जा0 / अ0पि0व0 / आ0क0व0 / सामान्य)....................
10. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?....................
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्तता....................
12. शारीरिक रूप से दिव्यांग (प्रमाण पत्र सहित)....................
13. **शैक्षणिक योग्यता :**

परीक्षा का नाम	उत्तीणता वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :....................

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		कार्यानुभव की कुल अवधि	कार्यानुभव का क्षेत्र
		कब से	कब तक		

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हुँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर